

उत्तर - ए

विषय:—विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1499 द्वारा श्री रजनीश सिंह, मा10 विधायक।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिये विभाग की संचालित योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

1. पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना।
2. पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
3. राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक) भोपाल।
4. छात्रगृह योजना।
5. स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार योजना।
6. संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन योजना।
7. पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना।
8. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक)।
9. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक)।
10. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी) योजना।
11. पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति योजना।
12. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना।
13. मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना।
14. पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास। (भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित)
15. पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास। (भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित)
16. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना)
17. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना)
18. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना)
19. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों की विकास योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना)

412

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

[Signature]

सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

पृष्ठ-६०

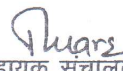
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1499 की जानकारी, जिला सिवनी

—00—

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी
1	पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	उक्त योजनान्तर्गत शासकीय एवं अशासकीय कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
2	अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति,	उक्त योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	उक्त योजनान्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के रोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाकर उक्त ऋण पर अनुदान प्रदाय किया जा रहा है।
4	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	उक्त योजनान्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं के रोजगार हेतु बैंक के माध्यम से अधिकतम 50000/-रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाकर उक्त ऋण पर 15000/- रुपये अनुदान प्रदाय किया जा रहा है।
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	उक्त योजनान्तर्गत पी.एस.सी. में उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
6	छात्रगृह योजना	उक्त योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को 5-5 के ग्रुप में अलग से कमरा लेकर रहने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उक्त किराये का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है।
7	मेधावी पुरस्कार योजना	प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं में जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 01 छात्र एवं 01 छात्रा को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।



मुख्यमंत्री अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल


सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
सिवनी म.प्र.

पृष्ठ-सिद्ध

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1499 की जानकारी, जिला सिवनी

—00—

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वितों की संख्या	योजनान्तर्गत लाभान्वितों को प्रदाय राशि
1	पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	21580	15,05,50,185
2	अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति,	474	9,98,124
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	134	1,34,76,000
4	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	15	2,20,000
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	67	11,25,000
6	छात्रगृह योजना	75	3,54,900
7	मेधावी पुरस्कार योजना	12	90,000


कारुणिक अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल


सहायक सचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
सिवनी म.प्र.